डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर कोर्ट बाप
बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण बनाम प्रतिवादी

1. समसदीन पुत्र रमजानखां
जाति सिन्धी मुसलमान
निवासी भीवजी का गांव
तहसील बाप जिला जोधपुर

1. तहसीलदार बाप

दावा बाबत् 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा संख्याः— 65/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भीवजी का गांव पटवार क्षेत्र घटोर के खसरा नंबर 4/26 रकबा 38.00 बीघा भूमि में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादीगण के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें।नीचे मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक — बाबत् फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 11 सन् 2019 जारी की गई।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चें के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर बाप जिला–जोधपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. समसदीन पुत्र रमजानखां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी भीवजी का गांव तहसील बाप जिला जोधपुर		1. तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्याः– 65/2019

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. वादीगण की और से वकील श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी
2. प्रतिवादी पैरोकार सरकार

दिनांकः– 06.11.2019

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य निम्नानुसार है कि वादी की खरीदसुदा भूमि ग्राम भीवजी का गांव पटवारक्षेत्र घटोर खसरा नंबर 4/26 करबा 34.00 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व खातेदार से जरिये पंजीबंद्व विक्रय पत्र के खरीद की थी। उसी दिन मौके पर चलकर पूर्व खातेदार विक्रेता ने वादी को कब्जा मौके पर सुपुर्द कर दिया था। लेकिन खसरा नंबर 4/26 रकबा 38.00 बीघा में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 449 मौजा भीवजी का गांव भरते समय सरासर गलत तरीके से उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में वादी को गैरखातेदार दर्ज कर दिया। जबकि वादी ने उक्त भूमि खरीद की थी उस समय उक्त भूमि पूर्व खातेदार विक्रेता के नाम खातेदारी में दर्ज थी लेकिन नामान्तरकरण संख्या 449 के जरिये उक्त भूमि वादी के नाम सरासर गलत तरीके से गैर खातेदार दर्ज कर दी। इसलिये वादी ग्राम भीवजी का गांव के खसरा नंबर /26 रकबा 38.00 बीघा भूमि में गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा करवाने का धिकारी है।

सहायक कलक्टर
(जिला जोधपुर) राज.

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि वादी के नाम खरीदसुदा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से वादी को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि वादी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वकील वादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए वादी साक्ष्य बंद की जाती है। पत्रावली अन्तिम बहस मे रखी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भीवजी का गांव पटवार मण्डल घटोर तहसील बाप के खसरा नंबर 4/26 रकबा 38.00 बीघा भूमि वादी को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के खरीद की थी। लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 449 मौजा भीवजी का गांव भरते समय सरासर गलत तरीके से उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में वादी को गैरखातेदार दर्ज कर दिया। जबकि पूर्व खातेदार विक्रेता के नाम खातेदारी में दर्ज थी। इसी अनुसार वादी को गैरखातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे। वकील वादीगण ने अपनी बहस के समर्थ इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रतियां पेश कि जो निम्न है। निर्णय दिनांक 20.06.2014 अनवान नबीयत बनाम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 10.08.2016 अनवान धनी बनाम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 14.02.2018 अनवान जमुखां बनाम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 28.12.2018 अनवान खुशालसिंह बनाम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 08.01.2019 अनवान नूर खातू बनाम तहसीलदार बाप।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि वादी को नियमानुसार गैरखातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, नामान्तरकरण संख्या 449 मौजा भीवजी का गांव व चालू जमाबंदी संवत 2071–2074 एवं तहसीलदार का जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 4/26 रकबा 38.00 बीघा भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण

कलक्टर
जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manaveer Singh
Date: 2019.12.09 18:40:26 IST
Reason: SelfAttested
Location:

संख्या 449 मौजा भीवजी का गांव भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण में वादी को गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया। जो वर्तमान में भी वादी के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है। जिस समय उक्त भूमि वादी ने खरीद की उस समय उक्त भूमि पूर्व खातेदारों के नाम खातेदारी में दर्ज थी जो विक्रय पत्र से प्रमाणित है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं है। इसी अनुसार वादीगण को गैरखातेदार से खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भीवजी का गांव पटवार क्षेत्र घटोर के खसरा नंबर 4/26 रकबा 38.00 बीघा भूमि में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादीगण के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 .....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप जिला जोधपुर (राज.)

(महावीर सिंह)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)